

प्रपत्र-2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित शिवनन्दी से सिमतोली मिसिंग लिंक (सिमतोली से काण्डा) मोटर मार्ग स्टेज-प्रथम (लम्बाई 1.500 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक :- 1760/पी-14/यू०आर०आर०डी०ए०/०९ दिनांक 14 दिसम्बर 2009 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट सिमतोली की आवादी 276 है जो अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

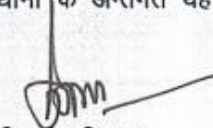
उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 0.175 है०, आरक्षित वन भूमि 0.800 है०, सिविल सोयम भूमि 0.105 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०, एवं मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.050 है० एवं 0.140 है० नाप भूमि मक डिस्पोजल में आ रही है। इस प्रकार कुल 0.955 है० वनभूमि प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु वृक्षों की गणना 7 मीटर मे की गई है जो की वास्तविक रूप से पातन किये जाने है। भूमि अधिग्रहण 7 मीटर चौड़ाई मे की गई है। एव हेयर पिन बैण्ड में मोटर मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर ली गयी है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं० 2 को निरस्त कर संरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 1.500 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में आने वाली आरक्षित वनभूमि, सिविल सोयम भूमि एवं मलवा निस्तारण हेतु कुल भूमि 0.955 है० प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग


अधिसाक्षी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग